FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2023/295

अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दौलतराम बनाम रामकुमार आदि

~~बघा सिंह उर्फ बलविन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार~~

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी नम्बर 10 सन् 2023

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.06.2023	प्रार्थी दौलतराम पुत्र हिम्मताराम जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्री करणपुर जिला गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 148ए सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 2 एम एम की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 93/93 की भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण या अन्य व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाता है तो उसमें कोई प्रभावी आदेश प्रार्थी को सुने बिना नही दिया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे ।	
27/9/23	पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र 148(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते